गाटा. 530 से.
गहलवारा

न्यायालय : - नायब तहसीलदार,खुशहालगंज,सरोजनी नगर
पीठासीन अधिकारी का नाम:- अस्था पांडेय
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460515831
वाद संख्या:- 15831/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम सुशीला देवी
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 01/06/2026

प्रस्तुत वाद वादी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकण योजनान्तर्गत के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ किया गया उसमे विक्रय पत्र दिनांक 07.04.26 के आधार पर प्रस्तुत हुयी। वाद को दर्ज मिसिलबंद कर नियमानुसार इश्तहर जारी किया गया, जो तामिल शामिल, पत्रावली है। दौरान मुकदमा कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुयी। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखयी/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र, इन्तखाब खतौनी व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एवं क्षेत्रीय लेखपाल के बयान अंकित कराये। लिखित साक्ष्य में क्षेत्रीय लेखपाल का बयान संलग्न पत्रावली है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि भूमि का सम्बन्ध सीलिंग भूदान, पट्टा से नहीं है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा विक्रय अनुमति संलग्न है। यह विक्रय विलेख उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। अतः उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामातंरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम गहलवारा, परगना काकोरी, तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ की खतौनी 1425 से 1430 फसली के खाता संख्या 00113 की गाटा संख्या 530सं रकबा 1.2650 हे0 में से विक्रीत रकबा 0.2469 हे0, मा0गु0 60ख से विक्रेता सुशीला देवी पत्नी अमर सिंह निवासी-गहलवारा, लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा ज्ञानेनद्र प्रताप शुक्ला पुत्र अंजनी कुमार शुक्ला लखनऊ विकास प्राधिकरण का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 07.04.26 अंकित किया जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

[illegible]

[illegible]-530
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

गाटा-सं. 530 म
गहलवारा

[illegible]

[illegible]

- अंतिम आदेश -

आदेश तिथि- [illegible]

वाद में:
ग्राम गहलवारा
निर्णय
प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 26.02.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। [illegible] वादी के साक्ष्य मे नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/ [illegible] उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के [illegible] किसी प्रकार का प्रतिकूल तथा संक्रामित होने पर [illegible] आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। [illegible] आदेश पारित किया जाता है।
आदेश
अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425 से 1430 की खसरा सं० 530म रकबा 1.265है० में से विक्रीत रकबा 0.5[illegible]है० [illegible] से अंकित खातेदार विक्रेता श्री [illegible] सिंह पुत्र [illegible] निवासी गहलवारा, काकोरी लखनऊ नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरुण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 26.02.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है . इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

गाटा – 530 स
गहलवारा

न्यायालय :- तहसीलदार,(न्यायिक)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- सुखवीर सिंह
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460506534
वाद संख्या:- 6534/2026
प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम पाले प्रसाद कनौजिया
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 09/05/2026

वाद सं0-

ग्राम-गहलवारा

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 19.01.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इश्तहार जारी किया गया। वाद मे कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य मे नियत किया गया। वादी नें अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/ मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य है विक्रय हेतु अनुज्ञा अन्तर्गत धारा-98(1) उ0प्र0 राजस्व संहिता कम्प्यूटरीकृत वाद ंस0-202515701041062481 श्री पाले प्रसाद कनौजिया पुत्र मोतीलाल के नाम अपर जिलाधिकारी महोदय वित एवं राजस्व लखनऊ के आदेश दिनांक 18.12.2025 के द्वारा क्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष मे विक्रय करने की अनुमति प्राप्त की जा चुकी है। यह विक्रयपत्र उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने मे कोई विधिक बाधा प्रतीत नही होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425 से 1430 की खाता सं0 00148 की खसरा सं० 489/1 का कुल रकबा 0.1950हे0 में से विकीत रकबा 0.0487हे0, खाता सं0 00179 की खसरा सं० 487/2 का कुल रकबा 0.1770 हे0 में से विक्रीत रकबा 0.0885हे0, व खाता सं0 00148 की खसरा सं० 482 का कुल रकबा 0.1330हे0 में से विकीत रकबा 0.0332हे0 खसरा सं० 536 का कुल रकबा 0.0760हे0 में से विकीत रकबा 0.0190हे0 व खाता सं0 00207 की खसरा सं० 530स का कुल रकबा 0.5820 हे0 में से विकीत रकबा 0.1265हे0, व खाता सं0 00051 की खसरा सं० 487/3 का कुल रकबा 0.3040 हे0 में से विकीत रकबा 0.1012हे0 कुल रकबा 1.4670 हे0 में से विकीत रकबा 0.4171 हे0 अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग की गाटा सं0 441 रकबा 0.1640हे0 सम्पूर्ण मा0गु0 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्री पाले प्रसाद कनौजिया पुत्र मोती निवासी मोती लाल साहब गंज शिवपुर गोरखपुर नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 19.01.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- तहसीलदार (न्यायिक)

सरोजनीनगर, लखनऊ।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"